न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री जे.पी. बैरवा, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 1857/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. जयप्रकाश पुत्र सुगनाराम जाति–मेघवाल, निवासी–डिगरना तहसील–जैतारण, जिला–पाली		1. बगदाराम पुत्र पुनाराम 2. बिंजा पुत्र गायड़राम 3. गेन्दा पत्नि गायड़राम 4. जेठाराम पुत्र हरलाल 5. शैतानराम पुत्र हरलाल 6. गुटी देवी बेवा हरलाल 7. धर्माराम पुत्र प्रेमाराम जातियान–राईका,निवासी–डिगरना तहसील–जैतारण, जिला–पाली 8. तहसीलदार, जैतारण तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.12/09/2017**

उपस्थितः. 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 10/10/2017**

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा–डिगरना, पटवार हल्का–डिगरना, तहसील–जैतारण में प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 153/3 रकबा 4–09 बीघा किस्म बारानी दोयम की आई हुई हैं। उपरोक्त वर्णित आराजी प्रार्थी की पूर्व में शामलाती खातेदारी थी। परन्तु वर्तमान में प्रार्थी ने अपने हिस्से की जमीन का बंटवाड़ा करा लिया एवं राजस्व रेकर्ड में भी अलग से तरमीम कर दी गई हैं। जिस पर अपने हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 153/3 पर वर्तमान में प्रार्थी एकमात्र काबिज खातेदार काश्तकार हैं। नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेश प्रार्थना पत्र के साथ पेश की हैं, जिसे प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि जो कि उक्त वर्णित हैं। जिसमें जाने का एकमात्र रास्ता खसरा नम्बर 149 रकबा 50–08 बीघा में से होकर के माठ के सहारे जा सकता हैं तथा खसरा नम्बर 149 के पूर्वी दिशा में ग्राम–डिगरना की आबादी आई हुई हैं तथा इस आबादी से चिपते ही खसरा नम्बर 149 हैं, जो अप्रार्थीगण की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि हैं एवं उसके आगे प्रार्थी की खातेदारी की भूमि 153/3 आई हुई हैं अर्थात् प्रार्थी की भूमि में जाने का एकमात्र जरिया अप्रार्थीगण की भूमि में से होकर के ही जा सकते हैं। अप्रार्थीगण की जमीन की नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेश प्रार्थना पत्र के साथ पेश की हैं, जिसे प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि व अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 149 आपस में चिपते हुए ही हैं, जिनके बीच में मौके पर माठ कायम हैं अर्थात् अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में से जो रास्ता प्रार्थी को अपनी भूमि में जाने हेतु चाहिए। उसका नजरी नक्शा बनाकर प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया जा रहा हैं। नजरी नक्शे में लाल स्याही से वर्णित मार्क ए से बी

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

भाग जो प्रस्तावित रास्ता हैं, जिससे होकर प्रार्थी अपनी भूमि में आ जा सकता हैं। इसके अलावा प्रार्थी की भूमि में जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद नहीं हैं। नजरी नक्शे में जो लाल रंग से रास्ता दर्शाया गया हैं। वह वर्तमान में प्रार्थी आनी आराजी में जाने के लिए उपयोग / उपभोग में ले रहा हैं तथा इसी रास्ते से प्रार्थी अपनी भूमि में खडाई बुवाई, कटाई व काश्त हेतु अपने वाहन ट्रेक्टर-ट्रोली, हल-बैल लेकर जाता हैं एवं अपनी भूमि में काश्त करता हैं। नजरी नक्शे में प्रस्तावित रास्ता मौके पर कायम हैं। नजरी नक्शे को प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। अप्रार्थीगण जिनकी कृषि भूमि खसरा नम्बर 149 में से वर्तमान में रास्ता गुजर रहा हैं। वह रास्ता नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया हैं। यह रास्ता प्रार्थी की भूमि के सहारे आगे खेतों तक जाता हैं। परन्तु प्रस्तावित रास्ता राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं हैं एवं न ही तरमीम हैं। परन्तु मौके पर पिछले कई वर्षो से कायम हैं। अब अप्रार्थीगण जो कि प्रस्तावित रास्ते को बंद करना चाहते हैं एवं तारबन्दी करके इस रास्ते को मिटाना चाहते हैं। यदि अप्रार्थीगण जो वर्तमान में रास्ता चल रहा हैं। उसको बंद कर देते हैं, तो प्रार्थी व अन्य खेतों में जाने वाले किसानों को भारी असुविधा होगी, क्योंकि जो रास्ता कायम हैं। उस रास्ते के अलावा प्रार्थी की भूमि में जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं हैं और जो प्रस्तावित रास्ता नजरी नक्शे में बताया गया हैं। वह प्रार्थी की भूमि में जाने का सबसे नजदीकतम एवं सुविधाजनक रास्ता हैं। इसको यदि अप्रार्थीगण मिलकर बंद कर देते हैं तो प्रार्थी अपनी भूमि में आ-जा नहीं सकेगा एवं हमेशा के लिए अपनी कृषि भूमि में काश्त करने से वंचित हो जाएगा क्योंकि इस रास्ते के अलावा प्रार्थी की भूमि में जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं। इसलिए प्रार्थी की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र वास्ते कायम कराने का रास्ता बाबत् पेश किया हैं। प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 153/3 में जाने हेतु अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 149 में से जो मौके पर वर्तमान में रास्ता कायम हैं एवं जिसे नजरी नक्शें में लाल स्याही से दर्शाया गया हैं। उक्त रास्ते का अप्रार्थीगण अपनी हठधर्मिता से एवं लाठी से बंद करने पर आमादा हैं। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को कई बार समझाईश की एवं रास्ते के नाप के हिसाब से पैसे देने को भी तैयार हैं। परन्तु फिर भी अप्रार्थीगण इस रास्ते को बंद करने पर आमादा हैं तथा अप्रार्थीगण दिनांक 28/08/2017 को एकमुश्त होकर आए एवं प्रार्थी जो कि इस प्रस्तावित रास्ते से ट्रेक्टर लेकर जा रहा था। उसे रोक कर इस रास्ते से आने जाने हेतु मना कर दिया। प्रार्थी ने बहुत समझाईश की परन्तु अप्रार्थीगण नहीं माने यदि अप्रार्थीगण इस रास्ते को बन्द कर देते हैं तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार से संभव नहीं हैं एवं यदि प्रार्थी जबरन मौके पर रास्ते से निकलेगा तो लडाई झगड़ा होगा व विवाद बढेगा एवं अनावश्यक मुकदमेंबाजी होगी। इसलिए इन सभी विवादों से बचने के लिए प्रार्थी की ओर यह प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। वर्तमान में फसल कटाई का समय हैं एवं अप्रार्थीगण वर्तमान में जो रास्ता चल रहा हैं जो नजरी नक्शे में भी बताया हैं। उस रास्ते को तारबन्दी से या कटीली झाडियें या खन्दक लगाकर बन्द कर देते हैं तो प्रार्थी और उसके साथ-साथ अन्य काश्तकार भी अपनी आराजी में आ जा नहीं सकेगे। जिससे प्रार्थी को अपनी बोई हुई फसल से भी वंचित होना पडेगा एवं भविष्य में भी अपनी आराजी में जाने हेतु कोई रास्ता मौके पर नहीं रहेगा, तो कई तरह के दिक्कतों का सामना करना पडेगा तथा खसरा नम्बर 149 में से जो रास्ता वर्षो से चल रहा हैं। व ह सबसे नजदीक एवं सुलभपूर्वक हैं। इसलिए इसी रास्ते को राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाकर मौके पर नापचौंप कर हमेशा के लिए रास्ते के रूप में ही कायम किया जावें। जिससे प्रार्थी व अन्य काश्तकारों को भी अपनी भूमि में जाने हेतु कोई असुविधा न हो एवं रास्ते का सही रूप से उपयोग

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

हो सकेगा। प्रार्थी अपनी आराजी में जाने हेतु जो नजरी नक्शें में मार्क ए से बी लाल रंग से प्रस्तावित रास्ता बताया हैं। उस रास्ते को राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कराने के लिए नियमानुसार राशि अदा करने को तैयार हैं तथा प्रार्थी को अपनी आराजी में जाने के लिए प्रस्तावित रास्ते के अलावा मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं हैं। प्रार्थना पत्र श्रीमान् के क्षैत्राधिकार में व श्रवणाधिकार में होने से श्रीमान् जी के समक्ष पेश किया हैं।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। गै0सा0 को बावजूद तामिली/ सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रकरण में तहसीलदार, जैतारण द्वारा उनके पत्रांक/भू.अ./2017/4846 दिनांक 10/10/2017 को रास्ते की वर्तमान स्थिति की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी हैं। जिसमें खसरा नम्बर 149 में से रास्ता चल रहा हैं। जिसकी लम्बाई 635 फुट व चौडाई 40 फुट हैं। जिसका क्षैत्रफल 1 बीघा 09 बिस्वा हैं। उक्त रास्ता आबदी भूमि से खसरा नम्बर 153 तक जाता हैं। प्रार्थी को स्वयं की खातेदारी भूमि 153/3 रकबा 4-09 बीघा किस्म बारानी दोयम में आने जाने हेतु रास्ता चाहा है। उक्त सम्बंध में मौके के अनुसार उक्त खेतो में आने जाने हेतु राजस्व रेकर्ड में रास्ता नही है। मौके पर वर्तमान में आने जाने हेतु रास्ता चल रहा है। उक्त रास्ता लगभग 635 X 40 फिट का प्रस्तावित हैं, जो खसरा नम्बर 149 में से 1.09 बीघा भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित हैं। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता राजस्व रेकर्ड के अनुसार मौजूद नही है। नजरी नक्शा अनुसार प्रार्थी की खातेदारी में आने जाने हेतु रास्ता प्रस्तावित किया गया। उक्त भूमि की किस्म बारानी दोयम है। जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 54530/- रू. है।

कृषकों के रास्ते के सुखाधिकार का और विस्तार करते हुए ही धारा 2015 काश्तकारी अधिनियम 1955 में 251 क का संशोधन किया गया हैं जिसकी उपधारा (1) के (ख) के अनुसार -

" (ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता या किसी विद्यमान को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता हैं, तो एक अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविध के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे "

उक्त धारा के प्रावधानानुसार संक्षिप्त जांच पश्चात् वैकल्पिक मार्ग नही होने की स्थिति में अन्य खातेदार की भूमि में होकर एक नया मार्ग बनाने की मंजूरी विहित रीति से अवधारित किये गये प्रतिकर के संदाय पर अनुज्ञान किया जा सकेगा।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात एवं फर्द मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। प्रार्थी के खेत में खड़ाई बुवाई हेतु आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं हैं। तहसीलदार, जैतारण की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट में यह दर्शाया गया हैं कि खसरा नम्बर 149 में से रास्ता कायम किया जाकर खसरा नम्बर 153/3 में प्रार्थी आ-जा सकते हैं। प्रार्थी को खसरा नम्बर 149 में रास्ता निकालने पर तहसीलदार, जैतारण की रिपोर्ट अनुसार 635 X 40 फीट का रकबा 1-09 बीघा खसरा नम्बर 149 में से लिया जाकर रास्ता कायम किया जा सकता हैं। तहसीलदार, जैतारण की रिपोर्ट अनुसार 40 फिट प्रस्तावित रास्ता चौड़ाई में ज्यादा हैं। अतः प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 149 में से 635 X 22 फीट रकबा 0-16 बीघा यानि 16 बिस्वा का सार्वजनिक रास्ता कायम किया जाना उचित रहेगा। उक्त खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

149 की वर्तमान डी.एल.सी. रेट प्रति0 54530/- रू0 प्रति बीघा हैं। बाजार मूल्य के मद्देनजर उक्त कृषि भूमि आबादी के समीप होने से अधिकतम डीएलसी रेट की दो गुणा (2.0) डीएलसी रेट मानते हुए 87248/- रू0 प्रार्थी से वसूल कर वर्तमान खातेदार काश्तकार को दिलाया जाना अर्थात् प्रार्थी से उक्त रकम वसूल कर वर्तमान खातेदार काश्तकार को भुगतान करें एवं खसरा नम्बर 149 में सार्वजनिक रास्ता कायम करने के आदेश दिए जाने एवं उक्त राशि वसूल करने के पश्चात् ही रास्ता कायम कर मौके एवं राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पत्थरगढ़ी / नेखमबन्दी करवाया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। सरहद मौजा-डिगरना, पटवार हल्का-डिगरना, तहसील-जैतारण में प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 153/3 रकबा 4-09 बीघा किस्म बारानी दोयम में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 149 में से 635 X 22 फीट रकबा 0-16 बीघा यानि 16 बिस्वा का रास्ता कायम करने की अधिकतम डीएलसी रेट प्रति बीघा 54530/- रू0 हैं। बाजार मूल्य व आबादी के पास होने के मद्देनजर अधिकतम डीएलसी रेट की दो गुणा (2.0) डीएलसी रेट मानते हुए 872481/- रू0 प्रार्थी से वसूल कर वर्तमान खातेदार काश्तकार को दिलाया जाना अर्थात् प्रार्थी से उक्त रकम वसूल कर वर्तमान खातेदार काश्तकार को भुगतान करें एवं खसरा नम्बर 149 में सार्वजनिक रास्ता कायम करने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त राशि वसूल करने के पश्चात् ही रास्ता कायम कर मौके एवं राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पत्थरगढ़ी / नेखमबन्दी करवाई जावें। तहसीलदार, जैतारण को पालना हेतु लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक 10/10/2017 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)